GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी
जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
खण्ड शिक्षा अधिकारी,
खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी,
राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के स्कूल मुखिया/प्रभारी।

यादी क्रमांकः– KW 01/25-2010 SMC 2015-16
दिनांकः– 17.09.2018

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक पुर्नगठन एवं SMDC का विलय।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 के अर्न्तगत प्रत्येक विद्यालय मे एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन तथा प्रत्येक दो वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाता है। इन समितियों के माध्यम से ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सभी गतिविधियों का विद्यालय स्तरीय आयोजन किया जा रहा है और अधिसूचना के अनुसार हर दो वर्ष बाद इनका कार्यकाल समाप्त होने पर पुर्नगठन किया जाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना के लिए सर्व शिक्षा अभियान को भारत सरकार द्वारा AWP&B के माध्यम से वित्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। RMSA का क्रियान्वयन भी HSSPP (SPD) द्वारा भारत सरकार के AWP&B में उपलब्ध करवाई गई वित्त सहायता से किया जाता है। RMSA में उपलब्ध राशि को SMDC के माध्यम से खर्च किया जाता है। अतः AWP&B में SSA का खर्च SMC तथा RMSA का खर्च SMDC (School Management Development Committee) के द्वारा किया जाता है। MHRD द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार अब SSA तथा RMSA का विलय कर दिया गया है तथा अब नया कार्यक्रम सम्रग शिक्षा के नाम से शुरू किया गया है।

अतः इस सन्दर्भ में निर्णय लिया गया है कि कि दोनों कमेटियों SMC तथा SMDC का समायोजन कर दिया जाए जिसमें SMDC को भंग करके SMC को पूरे कार्यक्रम का संचालन करने के लिए अधिकृत किया जाता है क्योंकि अधिनियम के अनुसार इसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को अर्थात समाज को अधिक शाक्तियां प्राप्त है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (High and Senior Secondary School) में SMDC के स्थान पर अब SMC कार्य करेगी। इसके लिए इन उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (High and

Senior Secondary School) में SMC का पुर्नगठन कर सदस्य संख्या छात्र संख्या के आधार पर बढ़ाई जाए ताकि कक्षा 9 से 10 (उच्च विद्यालयों में) तथा कक्षा 9 से 12 (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों) के विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

इन समितियों की आम सभा की बैठक सभी विद्यालयों में अक्तूबर 2018 में आयोजित की जानी है। आम सभा की इस बैठक में विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक/संरक्षण इन विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापक शामिल होंगे। संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/नगर निगम/नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि आम सभा के पदेन सदस्य होंगे। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम के अन्तर्गत ध्वझारोहण करने वाली बेटी भी इस कमेटी का पदेन सदस्यता होगी। इसके इलावा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, शिक्षा शास्त्री, दान दाता, गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य, स्वयं सहायता समुह के सदस्य तथा साक्षर महिला समुह के सदस्यों को भी इन बैठकों में आमंत्रित किया जाए। इस बैठक में 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के निर्धारित सदस्यों का जहां तक सम्भव हो सर्वसम्मति से चयन व नामांकन, बैठक में भाग ले रहे 'माता–पिता व अभिभावकों' के द्वारा किया जावे। इन समितियों अर्थात SMC का गठन होते ही पुरानी कमेटी SMC तथा SMDC दोनों को भंग मान लिया जाएगा। उनकी सभी शाक्तियां समाप्त मान ली जाएगी। कार्यवाही पुस्तिका पर सभी उपस्थित सदस्यों की हाजिरी संलग्न कार्यवाही प्रारूप (पताका 'क') के अनुसार लिख ली जाए। नव गठित समिति के सदस्यों का ब्यौरा संलग्न कार्यवाही प्रारूप के अनुसार बना कर कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में कार्यवाही पुस्तिका जिसमें हर कार्यवाही को विस्तृत रूप से लिखा जाए, को 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के सदस्य संयोजक द्वारा निरीक्षण व अवलोकन हेतु संभालकर विद्यालय में रखा जाए।

इस आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्य किए जाने है :–

क्र0	गतिविधि	दायित्व	समय सीमा
1	**स्कूल की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना:–** विशेष उपलब्धियां आयोजन, परीक्षा–परिणाम (SAT, MAT, NAS, BOSE) आदि।	स्कूल मुखिया तथा अन्य अध्यापक एवं कर्मचारी।	01.10.2018 से 11.10.2018
2	**आम सभा के संबंध में प्रचार मुनादी:–** गुरूद्वारा, मन्दिर, मस्जिद के माध्यम से प्रचार तथा बच्चों के माध्यम से लिखित निमंत्रण।	स्कूल मुखिया तथा कक्षा प्रभारी।	08.10.2018 से 10.10.2018
3	क्षेत्र के गणमान्य सदस्यों, शिक्षा शास्त्रीयों, दान–दाताओं, गैर सरकारी संस्थाओं NGO, SMC, SHG को व्यक्ति गत संपर्क करना, ग्राम पंचायत को विधिवत निमंत्रण देना।	स्कूल मुखिया एवं SMC प्रधान	08.10.2018 से 10.10.2018

4	बैठक के आयोजन हेतु अन्य आवश्यक प्रबन्ध करना।	स्कूल मुखिया एवं समस्त स्टाफ	11.10.2018
5	आयोजन एवं पुर्नगठन तथा की कार्यवाही बैठक का आयोजन	स्कूल मुखिया एवं समस्त स्टाफ	11.10.2018

मामले में निर्देशित किया जाता है कि –

1. SMDC जो RMSA के क्रियान्वयन के लिए थी उसका विलय SMC में कर दिया जाए।
2. SMC का गठन अब समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए कर लिया जाए।
3. रा0उ0 विद्यालयों तथा रा0व0मा0 विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर SMC के गठन में कक्षा 9 से 12 के माता–पिता और अभिभावकों को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।
4. पिछली SMC तथा SMDC को नई SMC के गठन के तुरन्त बाद निरस्त कर दिया जाए।
5. SMDC का बैंक खाता बन्द कर दिया जाए तथा बैंक खाते का संचालन SMC के नियमानुसार किया जाए।
6. SMC के गठन की सूचना निदेशालय तथा HSSPP (SPD) कार्यालय को भी उपलब्ध करवाई जाए।

सहायक निदेशक शैक्षणिक
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः **दिनांक, पंचकूला 17.09.2018**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ सचिव, माननीया अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. निजी सचिव, माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. निजी सचिव, माननीय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
4. निजी सचिव, माननीय राज्य परियोजना निदशक हरियाणा, पंचकूला।
5. निदशक एस0सी0ई0आर0टी0 गुरूग्राम।
6. श्री बाल किशन यादव, सलाहकार योजना HSSPP (SPD)
7. IT शाखा को Website पर upload करने के निमित्त

सहायक निदेशक शैक्षणिक
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला